

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज०)

दि० नं०
125/2022

तारीख दायरा
02.09.2022

तारीख फैसला
13.1.23

पीठासीन अधिकारी—हरविन्दर डी० सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1- सावित्री पुत्री बद्रीलाल पत्नी वृजमोहन नागर जाति धाकड निवासी हांपाहेडी अन्ता हाल सरदार कॉलोनी अन्ता जिला वांरा राज०
- 2- प्रभातवाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी श्री रेवतीप्रकाश नागर जाति धाकड निवासी बजरंगगढ रीताबाडी हाल निवासी राधे कॉलोनी मांगरोल बाय पास रोड वांरा राज०
(वादीयागण)

बनाम

- 1- बद्रीलाल पुत्र रामकल्याण जाति धाकड निवासी बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा (राज०)
- 2- ललिता पुत्री बद्रीलाल पत्नी प्रमचन्द नागर जाति धाकड निवासी प्रेमनगर कोटा (राज०)
- 3- राममूर्ति बाई पुत्री बद्रीलाल पत्नी रमेश चन्द जाति धाकड निवासी भट्टीपुरा(गढेपान)तहसील दीगोद जिला कोटा राज०
- 4- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा
(प्रतिवादीगण)

वादीयागण की ओर से - श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से - श्री दशरथ दाधीच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादीयागण निम्न आधारों पर यह वाद पत्र पेश करती है कि:-

साक्ष्य में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे०, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे०, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे० कुल कित्ता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा निहित है।

उक्त आराजी को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। पक्षकारों का सजरा निम्न प्रकार है:-

बद्रीलाल

सावित्री
(पुत्री)

प्रभातवाई
(पुत्री)

ललिता
(पुत्री)

राममूर्तिबाई
(पुत्री)

यह कि उक्त वर्णित आराजियात में से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 52/305 भूमि दर्ज है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 संयुक्त खातेदारी में दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

पुस्तैनी भूमि है जो प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जन्मतः हक अधिकार निहित है। वादियागण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में 1/5 -1/5 हिस्सा बनता है। वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं।

यह कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी क्रम 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी क्रम 1 आये दिन रहन, बेचान व खुर्द बुर्द करने की धमकी देता है तथा अपने हिस्से की भूमि को अन्तरण करना चाहता है इसलिए वादियागण को प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में 1/5 -1/5 भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादियागण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:-

1- कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा में से वादियागण को 2/5 हिस्से की भूमि की बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

2- कि वादियागण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में से हिस्सा 2/5 भूमि में वादियागण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, रहन, बेचान या खुर्द बुर्द नहीं करें।

3- कि अन्य न्यायोचित सहायता वादियागण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वादियागण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गये:-

1- नकल जमाबन्दी खाता संख्या 73 ग्राम बांक्या सम्वत 2073-2076

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वाद पत्र की समस्त चरणों को स्वीकार किया गया। वादियागण एवं प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा होने पर यह राजीनामा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से पेश किया गया:-

कि वाके माल ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज0 में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे0, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे0, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे0, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे0, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे0 कुल किता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा निहित है।

कि उक्त वर्णित आराजीयात में से प्रतिवादी क्रम 1 के खाते हिस्सा 52/305 भूमि दर्ज है। जिसका प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादियागण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 का जन्मतः हक अधिकार निहित है। वादियागण का प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से 52/305 में से 1/5 -1/5 हिस्सा वादियागण के हिस्से में राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाते भूमि दर्ज किये जाने में प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 सहमत हैं। विवादित आराजी में कल्याण का वारतविक नाम रामकल्याण है किन्तु

6/11/14
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
दीगोद, जिला कोटा (राज०)

राजस्व रिकार्ड में कल्याण दर्ज है जो कि कल्याण के स्थान पर रामकल्याण नाम दर्ज किया जावे।

कि वाके माल ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे०, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे०, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे० कुल कित्ता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्से में से वादियागण को 2/5 हिस्से यानि 1/5 - 1/5 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा की गई है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजस्व रिकार्ड का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति होने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान में आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीयागण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा राज० में खाता नया 73 पुराना 72 खसरा नम्बर 18 रकबा 0.40 हे०, खसरा नम्बर 325 रकबा 2.68 हे०, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.04 हे०, खसरा नम्बर 54 पश्चिम रकबा 4.80 हे०, खसरा नम्बर 96 दक्षिण रकबा 1.24 हे० कुल कित्ता 5 रकबा 9.16 हेक्टर भूमि में प्रतिवादी क्रम 1 का 52/305 हिस्सा मे से वादियागण व प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 को 1/5 - 1/5 भूमि के बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं राजस्व रिकार्ड में वादी बद्रीलाल की वल्लिद्यत कल्याण के स्थान पर रामकल्याण दर्ज किया जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.1.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

ई.पी.
उपसुपुकार अधिकारी
दीगोद तहसील कोटा (राज.)